समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

—: आदेश :—

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 79/आ०प्र०, दिनांक- 09.01.2015 के चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 , मांग संख्या -39 राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद से मो0- 1,00,000/- (एक लाख)रु0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता , मधेपुरा	2,22,500/-	1,00,000/-	3,22,500/-
कुल योग :-		2,22,500/-	1,00,000/-	3,22,500/-

उपावंटन की शर्तें :-

1. उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में किया जाना है ।
2. यह आवंटन बाढ़ प्रवण एवं भुकम्प जोन V एवं IV में अवस्थित जिलों में समुदाय के युवकों के क्षमता वर्द्धन हेतु भूकम्प और बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभागीय पत्रांक 78 / आ0प्र0 दिनांक 06.01.15 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 , मांग संख्या -39 राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद में मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

5. उपावंटित राशि का उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को शीध्र भेज दिया जाय।

6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य बजट शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लधु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित कियाा जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण की सारी जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.15 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक ...14......दिनांक ..22-01-15

प्रतिलिपि : – जिला नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 78 / आ0प्र0 दिनांक 06.01.15 की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर समुदाय के व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु भूकम्प एवं बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यो हेतु प्रशिक्षण दिनांक 27.01.15 से 29.01.15 एवं 01.02.15 से 03 . 02.15 तक कराना सुनिश्चित करेंगे एवं एन0डी0आर0एफ0 दल को दिनांक 05.02. 15 को खगड़िया जाने हेतु वाहन की व्यवस्था करेंगे।

प्रतिलिपि : – कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / अपर सचिव, आपदा प्रबंधन , बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

22/01/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।